


सहायक फलक्टर जामेर मु. जनपुर
फर्द अहकाम

शुभानी लाल बनाम लालाराम

नाम न्यायालय

केस संख्या 64/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	4/1/2023	<p>पंजावली पुस्तुत / व.फ. उप. / उपपक्ष की पूर्व में वदत मुनी जा चुकी है अतः वाड वाडी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट डिडी किया जाता है किस्सा निर्णय, डिडी पृथक से लिखवाया गया।</p> <p>पंजावली फलल शुभा हाकर दारिल दस्त है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक फलक्टर जामेर मु. जनपुर </p>

आज्ञा या गही

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा

आर.ए.एस.

वाद संख्या - 64/2022

वाद प्रस्तुति दिनांक- 31.05.2022

प्रभाती लाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी गाम सुदर्शनपुरा तहसील
आमेर जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम



1. कानाराम पुत्र हनुमान
2. नानूराम पुत्र हनुमान
3. रीताराम पुत्र हनुमान

समस्त जाति जाट निवासी गाम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

4. उप पंजीयक जालूस तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालूस तहसील आमेर जिला जयपुर
जरिये शाखा प्रबंधक।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिथति :- (1) श्री सुरेश कुमार चाहर अधिवक्ता - वादी की ओर से
(2) श्री गजराज योगी अधिवक्ता- प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से

निर्णय दिनांक 04.01.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, कि लोक सभस
ग्राम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 226
रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 243
रकबा 0.7800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 1.2200 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 245
रकबा 0.1700 हेक्टेयर, 248 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 360 रकबा 0.9200 हेक्टेयर, 362
रकबा 0.8700 हेक्टेयर, 378 रकबा 2.0000 हेक्टेयर, 379 रकबा 0.1300 हे०, 381 रकबा
0.2700 हे०, 382 रकबा 0.4700 हे०, 9 रकबा 1.5000 हेक्टेयर कुल विवा 13 मुल
रकबा 9.7700 हेक्टेयर कृषि भूमि का रिकॉर्डेड सादेदार काश्तकार वादी का विवा
5/21 दर्ज है, तथा उपरिथत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 नाम वादी स्थित


सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

वकील प्रतिवादी

अनुसार दर्ज व अंकित चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त कक्षा की सहकार्यकारी की अविभाजित भूमि है परन्तु रिकॉर्डेड खातेदारों के मध्य विवादग्रस्त आराजी का आज दिनांक तक बाई मीटर्स एण्ड बाउण्डर्स के आधार पर तकारामा विधिवत नहीं हुआ है। अतः वादी का हिरसा 5/21 की भूमि का बाई मीटर्स एण्ड बाउण्डर्स के आधार पर वादी का पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिद स्थायी निषेधज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादी ने वाद को समर्थन में प्रमाणित जमानदी संवत् 2076-2069 व छाया प्रति नक्शा पेश किया।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने जवाब पेश नहीं कर प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन करने पर वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टोनेज0 (बॉर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 को पालना करते हुए बाकें राजस्व ग्राम रुदर्शनपुर तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 242 रकबा 1.0800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.7800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 244 रकबा 1.2200 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 247 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, 248 रकबा 0.0900 हेक्टेयर, 360 रकबा 0.9200 हेक्टेयर, 362 रकबा 0.8700 हेक्टेयर, 378 रकबा 2.0000 हेक्टेयर, 379 रकबा 0.1300 हे0, 381 रकबा 0.2700 हे0, 382 रकबा 0.4700 हे0, 9 रकबा 1.5000 हेक्टेयर कुल किरा 13 कुल रकबा 9.7700 हेक्टेयर भूमि का बाई मीटर्स एण्ड बाउण्डर्स के आधार पर तकारामा कर जमानदी व अंकित हिरसा अनुसार उभयपक्षों को उपस्थिति में जमानदी को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में कुर्रजात रिपोर्ट नया नक्शा मस जमानदी को जारी नोटिस की प्राप्ति तय कर जमानदी प्रतिया न हल न्यायालय में नया नक्शा तहसीलदार आमेर से कुर्रजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर पर तकारामा कर वउर-पुणे गई। वादी अधिवक्ता न तहसीलदार आमेर से प्राप्ति कुर्रजात रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता न कुर्रजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः मुतायिक कुर्रजात रिपोर्ट वादपत्र का निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. तकारामा पुत्र हनुमान जाति जाट सा यह सार्वजनिक अहिम आरम्भजोड सभा जालसू के हिरा में खसरा नम्बर 9/3 रकबा 0.2235 हेक्टेयर जमानदी नम्बर 235/1 रकबा 0.09 हेक्टेयर खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0.30 हेक्टेयर खसरा नम्बर 243/2 रकबा 0.26 हेक्टेयर खसरा नम्बर 244/2 रकबा 0.74 हेक्टेयर खसरा नम्बर 362/2 रकबा 0.44 हेक्टेयर भूमि कुल किरा 6 कुल रकबा 2.14 हेक्टेयर भूमि रहेगी।


सहायक कलेक्टर
आमेर जयपुर

2. नानूराम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 9/1 रकबा 0.3595 हैक्टेयर खसरा नम्बर 235/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 242/1 रकबा 0.36 हैक्टेयर खसरा नम्बर 242/3 रकबा 0.36 हैक्टेयर खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 362/2 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 8 कुल रकबा 2.6795 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

प्रभातलाल पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 9/4 रकबा 0.2935 हैक्टेयर खसरा नम्बर 379 रकबा 0.1300 हैक्टेयर खसरा नम्बर 381 रकबा 0.2700 खसरा नम्बर 382 रकबा 0.4700 हैक्टेयर खसरा नम्बर 360/1 रकबा 0.4600 हैक्टेयर खसरा नम्बर 378/1 रकबा 0.6800 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.3035 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. शीताराम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 9/2 रकबा 0.5235 खसरा नम्बर 378/2 रकबा 1.3200 खसरा नम्बर 360/2 रकबा 0.4600 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.3035 हैक्टेयर भूमि रहेगी।


5. नानूराम पुत्र हनुमान हि० 3/17 कानाराम पुत्र हनुमान हि० 14/17 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 247 रकबा 0.1700 कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.1700 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. शामलाल मुताविक जमाबन्दी हाल खसरा नम्बर 9/5 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

7. नानूराम पुत्र हनुमान हि० 1/2 कानाराम पुत्र हनुमान हि० 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 244/3 रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 1 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताविक निर्णय अनुसार एक दुसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट एवं मक्या निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलेक्टर
आमेर मु० जयपुर

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर
पीठारसीन अधिकारी : श्री सुनील शर्मा आर.ए.एस

वाद संख्या - 64/2022

वाद प्रस्तुति दिनांक- 31.05.2022

प्रभाती लाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी गाम सुदर्शनपुरा तहसील
आमेर जिला जयपुर।

..... वादी

बनाम



1. कानाराम पुत्र हनुमान
 2. नानूसाम पुत्र हनुमान
 3. सीताराम पुत्र हनुमान
- समस्त जाति जाट निवासी गाम सुदर्शनपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. उप पंजीयक जालूस तहसील आमेर जिला जयपुर।
 5. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
 6. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर
जरिये शाखा प्रबंधक।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत ताकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 04.01.2023

मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है-

1. कानाराम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा
जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 9/3 रकबा 0.2235 हैक्टेयर खसरा नम्बर
235/1 रकबा 0.09 हैक्टेयर खसरा नम्बर 242/2 रकबा 0.36 हैक्टेयर खसरा
नम्बर 243/2 रकबा 0.26 हैक्टेयर खसरा नम्बर 244/2 रकबा 0.74 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 362/2 रकबा 0.44 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 6 कुल रकबा 2.1135
हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. नानूसाम पुत्र हनुमान जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन आरएमजीवी शाखा
जालसू के हिस्से में खसरा नम्बर 9/1 रकबा 0.3595 हैक्टेयर खसरा नम्बर
235/2 रकबा 0.18 हैक्टेयर खसरा नम्बर 242/1 रकबा 0.36 हैक्टेयर खसरा
नम्बर 242/3 रकबा 0.36 हैक्टेयर खसरा नम्बर 243/1 रकबा 0.52 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 244/1 रकबा 0.38 हैक्टेयर खसरा नम्बर 248 रकबा 0.09 हैक्टेयर
खसरा नम्बर 362/2 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि कुल कित्ता 8 कुल रकबा 2.6795
हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलेक्टर
आमेर ज. जयपुर

